<u>न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं</u>

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी,
आई.ए.एस.

अपील संख्याः— 101 / 2022

सत्यनारायण पुत्र रामस्वरूप, जाति जाट, निवासी घण्डावा, तहसील सुरजगढ, जिला झुंझुनूं।

— अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं।

— रेस्पोडेंट

— — —

अपील अन्तर्गत धारा 22 (क) अपील विरूद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी झुझुनू प्राधिकार पत्र के निलम्बन आदेश दिनांक 21.01.2022 के विरूद्ध

— — —

उपस्थित : —

1. श्री विजय ओला, एडवोकेट — अपीलार्थी की ओर से ।
2. श्री कमल मीणा, विभागीय पैरोकार — रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

<u>आदेश</u>

दिनांकः— 30.05.2022

प्रस्तुत अपील विद्वान जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 21.01.2022 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र स्थगन के पेश की है। अपील अपीलान्ट के अनुसार जिला रसद अधिकारी झंझुनूं द्वारा दिनांक 21.01.2022 को अपीलान्ट उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की जा रही है कि अपीलान्ट की अपील में सफलता मिलने की पूर्ण आशा है। अपीलान्ट निर्दोष व्यक्ति है जिसको झूंठा फंसाया जाकर अभियोजित किया जा रहा है। अपीलान्ट के विरूद्ध शिकायतकर्ता रामेश्वरसिंह सरपंच ग्राम पंचायत घण्डावा पंचायत समिति सूरजगढ है जो कि अपने पदीय हैसियत के कारण अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही कराना चाहता है। और झूंठी शिकायतें करता है। चूंकि शिकायतकर्ता ने राशन सामग्री वितरण स्थल पर सामग्री वितरण नही करने का आरोप लगाया है जबकि अपीलान्ट विभाग द्वारा अधिकृत दुकान पर ही राशन वितरण सप्लाई करता है और रखता है जो मौका जांच रिपोर्ट से स्पष्ट प्रतीत हो जाता है। परन्तु जांच अधिकारी ने बिना मौका निरीक्षण किये ही अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही की है। शिकायतकर्ता सरपंच ने मात्र अपीलान्ट को फंसाने के लिये झूंठी शिकायत दर्ज करवायी है जिनके नाम निम्न है ए0 लोकेश पुत्र जुगलाल इस शिकायत कर्ता से 6 किलो चना व 80 किलो गेहूं के गबन का आरोप लगाया व 1 रूपये प्रति किग्रा के स्थान पर 2 रू प्रति किग्रा वसूल किये गये जबकि उक्त उपभोक्ता ने प्रति महीने उपस्थित होकर पीएमजीकेएवाई और एनएफएसए के द्वारा राशन लिया है। जिसके गेहूं व चना के वितरण की ग्राहक पर्ची पोस मशीन से जारी की गई है। जो लाभार्थी को उपलब्ध करवा दी गई तथा राशि अधिक वसूलने का आरोप भी मिथ्या है क्योंकि राशन की दुकान के सूचना पट्ट पर मूल्य सूची का अंकन रहता है जो उपभोक्ताओं के लिये होता है। उक्त उपभोक्ता से नियमित दर से राशि ली गई है। उक्त आरोप मिथ्या है। चूंकि विभागीय आदेशो के अनुसार एनएफएसए 11 अग[illegible] से 30 नवम्बर तक निःशुल्क गेहूं का वितरण लाभार्थियों को किया गया है तथा राशन वितरण [illegible] प्रक्रिया ऑनलाईन है ऑफ लाईन नही है। उपभोक्ता को जितना राशन वितरण किया है। उसकी ग्रा[illegible] को पर्ची पोस मशीन से दी है। इसमे गडबडी करने का कोई आधार नही है। रा[illegible] माध्यम से बा[illegible] प्रकिया के तहत किया जा रहा है। इसमें उपभोक्ता राशन कार्ड, आधार [illegible], व जन आधार कार्ड [illegible] ले सकता है। राशन कार्ड के अभाव में किसी भी उपभोक्ता को राशन से वंचित नही रखा जा सकता है। बी0 राहुल पुत्र प्रदीप को जो गेहूं व चना दिया गया उसका इन्द्राजात राशन कार्ड ने नही दिखाया गया व 7 किलो

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.13 12:04:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

चना व 100 किलो गेहूं का गबन। सी0 विनोद पुत्र हरद्वारी को जो गेहूं व चना दिया गया उसका इन्द्राजात राशन कार्ड में नही दिखाया गया इस प्रकार 8 किलो चना व 125 किलो गेहूं का गबन बताया गया। चूंकि राहुल पुत्र प्रदीप व विनोद पुत्र हरद्वारी दोनों गेहूं व चना का वितरण उनके वितरण आदेश अनुसार किया गया है जो गेहूं व चना वितरण पोस मशीन द्वारा किया गया है। जो कि ऑनलाईन प्रक्रिया हैं और मात्र राशन कार्ड न ही लाने पर उन्हें राशन से वंचित नही किया गया जो कि मात्र एक फिसकल प्रोसीडिंग है। गबन का आरोप झुठा है। डी0 मन्दरूप व राजेन्द्रकुमार व सुमनदेवी की शिकायत है कि मृत्यु के पश्चात् गेहूं का वितरण किया गया चूंकि राशन वितरण ऑनलाईन दर्ज यूनिट के हिसाब से किया जाता है। राशन कार्ड में यूनिट जोडने व हटाने के लिये डीलर अधिकृत नही है। तथा मृत्यु प्रमाण पत्र देना ग्राम पंचायत का कार्य है। ये उपभोक्ता का दायित्व है कि वे अपने राशन कार्ड जन आधार कार्ड को संघारित रखे और फिर भी उपभोक्ता क्त तथ्य को छुपाता है। तो डी0एस0ओ0 राशन की वसूली हेतु अधिकृत है। राशन डीलर तो तब तक राशन देने के लिए अधिकृत रहता है जब तक बायोमैट्रिक सिस्टम में यूनिट कम नही की जाती है। इस प्रकार उक्त शिकायत भी झूंठी है चूंकि मृतक के वारिसान ने स्वयं जरिये शपथ पत्र जांच में यह तथ्य दर्ज किया है। इस प्रकार अपीलान्ट के विरूद्ध की गई शिकायत झुठी है। निराधार है। ई0 मैनादेवी पत्नी हेमराज ने अप्रेल 2020 से नवम्बर 2020 तक प्रति महीने पोस मशीन की बायोमैट्रिक प्रकिया से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर राशन प्राप्त किया है। गेहूं और चना वितरण की ग्राहक पर्ची पोस मशीन से जारी की गई है जो उपभोक्ता के पास है उचित मूल्य के सूचना पट्ट पर राशन संबंधी पूर्ण जानकारी का विवरण दर्ज रहता है। अगर राशन सामग्री प्राप्त नही करता तो वह तुरन्त शिकायत दर्ज करवा सकता है। परन्तु उक्त प्रकरण सरपंच द्वारा राजनैतिक द्वेषता से अपीलान्ट के विरूद्ध झूंठी शिकायत का पुलिन्दा बनाकर किया गया है। डी0एस0ओ0 झुझुनू ने मात्र सरपंच के प्रभाव में आकर अपीलान्ट के विरूद्ध बिना कोई शिकायतकर्ता के प्रमाणिकरण बिना कोई मौके की जांच व न ही कोई भौतिक निरीक्षण किया गया मात्र राजनैतिक द्वेषता के चलते सरपंच को लाभ देने के उद्वेश्य से सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग किया गया है। डी0एस0ओ0 झुंझुनूं ने जानबूझकर अपीलान्ट के विरूद्ध मनमाना रूप से कार्यवाही करते हुये दिनांक 21.01.2022 को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त करने का आलौच्याधीन आदेश दिया गया है। कि रेस्पोडेन्ट डी0एस0ओ0 झुंझुनूं के पास किसी भी ग्रामवासी की कोई शिकायत नही है जबकि अपीलान्ट ने अपनी जांच में 100 राशनधारकों का प्रमाणीकरण करवाया है। जिसको विधिक तौर से काफी बडा महत्व है। चूंकि रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त जांच निष्पक्ष की जाती तो अपीलान्ट के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही संभव ही नही थी परन्तु झूठे आरोपो के आधार पर रेस्पोडेन्ट ने उक्त कार्यवाही की है। रेस्पोडेन्ट ने बिना कोई भौतिक निरीक्षण किये मनमाना आदेश पारित किया है। रेस्पोडेन्ट ने शिकायतकर्ता द्वारा राशन कार्ड की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है कोई भी साक्ष्य नही ली गई और न ही प्रमाणीकरण किया गया है। और काल्पनिक तथ्य को आधार बनाकर रिपोर्ट बनायी जाकर दिनांक 21.01.2022 को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया गया है। रेस्पोडेन्ट का आदेश गलत व आधारहीन होने व न्याय संगत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। जिसकी सुनवाई माननीय न्यायालय हाजा द्वारा की जाकर निरस्त किया जाना आवश्यक है जो माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में आता है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर डी0एस0ओ0 झुंझुनूं के आदेश दिनांक 21.01.2022 को निरस्त किया जावे और अपीलान्ट का लाईसेन्स नियमित किये जाने का आदेश प्रदान करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.13 12:04:08 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गयी । वकील अपीलार्थी ने बहस के [illegible]ल में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट निर्दोष [illegible] अभियोजित किया जा रहा है। जांच अधिकारी ने बिना मौका नि[illegible] किये ही अ[illegible]ट के विरूद्ध कार्यवाही की है। शिकायतकर्ता सरपंच ने मात्र अपीलान्ट को फ[illegible] [illegible] झूठी शिकायत दर्ज करवायी है जिनके नाम निम्न है ए0 लोकेश पुत्र जुगलाल इस शिकायत कर्ता से 6 कि[illegible] चना व 80 किलो गेहूं के गबन का आरोप लगाया व 1 रूपये प्रति किग्रा के स्थान पर 2 रू प्रति किग्रा वसूल किये गये जबकि उक्त उपभोक्ता

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

ने प्रति महीने उपस्थित होकर पीएमजीकेएवाई और एनएफएसए के द्वारा राशन लिया है। जिसके गेहूं व चना के वितरण की ग्राहक पर्ची पोस मशीन से जारी की गई है। जो लाभार्थी को उपलब्ध करवा दी गई तथा राशि अधिक वसूलने का आरोप भी मिथ्या है क्योंकि राशन की दुकान के सूचना पट्ट पर मूल्य सूची का अंकन रहता है जो उपभोक्ताओं के लिये होता है। उक्त आरोप मिथ्या है। चूंकि विभागीय आदेशो के अनुसार एनएफएसए 11 अगस्त 2020 से 30 नवम्बर तक निःशुल्क गेहूं का वितरण लाभार्थियों को किया गया है तथा राशन वितरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन है ऑफ लाईन नही है। उपभोक्ता को जितना राशन वितरण किया है। उसकी ग्राहक को पर्ची पोस मशीन से दी है। इसमे गडबडी करने का कोई आधार नही है। राशन का वितरण पोस मशीन के माध्यम से बायोमैट्रिक प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। इसमें उपभोक्ता राशन कार्ड, आधार कार्ड, व जन आधार कार्ड से राशन ले सकता है। राशन कार्ड के अभाव में किसी भी उपभोक्ता को राशन से वंचित नही रखा जा सकता है। बी0 राहुल पुत्र प्रदीप को जो गेहूं व चना दिया गया उसका इन्द्राजात राशन कार्ड ने नही दिखाया गया व 7 किलो चना व 100 किलो गेहूं का गबन। सी0 विनोद पुत्र हरद्वारी को जो गेहूं व चना दिया गया उसका इन्द्राजात राशन कार्ड में नहीं दिखाया गया इस प्रकार 8 किलो चना व 125 किलो गेहूं का गबन बताया गया। चूंकि राहुल पुत्र प्रदीप व विनोद पुत्र हरद्वारी दोनों गेहूं व चना का वितरण उनके वितरण आदेश अनुसार किया गया है जो गेहूं व चना वितरण पोस मशीन द्वारा किया गया है। जो कि ऑनलाईन प्रक्रिया हैं और मात्र राशन कार्ड न ही लाने पर उन्हें राशन से वंचित नही किया गया जो कि मात्र एक फिसकल प्रोसीडिंग है। गबन का आरोप झूठा है। डी0 मन्दरूप व राजेन्द्रकुमार व सुमनदेवी की शिकायत है कि मृत्यु के पश्चात् गेहूं का वितरण किया गया चूंकि राशन वितरण ऑनलाईन दर्ज यूनिट के हिसाब से किया जाता है। राशन कार्ड में यूनिट जोडने व हटाने के लिये डीलर अधिकृत नही है। राशन डीलर तो तब तक राशन देने के लिए अधिकृत रहता है जब तक बायोमैट्रिक सिस्टम में यूनिट कम नही की जाती है। इस प्रकार उक्त शिकायत भी झूंठी है चूंकि मृतक के वारिसान ने स्वयं जरिये शपथ पत्र जांच में यह तथ्य दर्ज किया है। ई0 मैनादेवी पत्नी हेमराज ने अप्रेल 2020 से नवम्बर 2020 तक प्रति महीने पोस मशीन की बायोमैट्रिक प्रक्रिया से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर राशन प्राप्त किया है। गेहूं और चना वितरण की ग्राहक पर्ची पोस मशीन से जारी की गई है जो उपभोक्ता के पास है उचित मूल्य के सूचना पट्ट पर राशन संबंधी पूर्ण जानकारी का विवरण दर्ज रहता है। डी0एस0ओ0 झुंझुनूं ने जानबूझकर अपीलान्ट के विरूद्ध मनमाना रूप से कार्यवाही करते हुये दिनांक 21.01.2022 को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त करने का आलौच्याधीन आदेश दिया गया है। रेस्पोडेन्ट ने बिना कोई भौतिक निरीक्षण किये मनमाना आदेश पारित किया है। मरे हुए उपभौक्ताओं का नाम राशन कार्ड से हटाने के लिए अपीलान्ट अधिकृत नही है। अपीलान्ट द्वारा आधार कार्ड प्रस्तुत करने पर राशन सामग्री का नियमानुसार वितरण किया गया है। वितरित राशन सामग्री का अंकन पोस मशीन मे दर्ज है। अपीलान्ट द्वारा उपभोक्ताओं को पोस मशीन पर अंगूठा लगाया जाकर बाद सत्यापन ही राशन सामग्री का वितरण किया गया है। अपीलान्ट के विरूद्ध गबन का आरोप सही नही है क्योंकि अपीलान्ट के विरूद्ध गबन के लिए कोई एफ0आई0आर0 [illegible] गई है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर डी0एस0ओ0 झुंझुनूं के आदेश दि[illegible] 2[illegible]2022 को निरस्त किया जावे और अपीलान्ट का लाईसेन्स नियमित किये जाने का आदेश प्रदान करें।

विद्वान विभागीय पैरोकार ने बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि जांच मे अपीलान्ट द्वारा 17 क्विंटल 20 किलोग्राम गेहूं व 34 किलोग्राम चना दाल का गबन किया जाना पाया गया है। अपीलान्ट द्वारा उपभोक्ताओं को वितरित सामग्री का इन्द्राज पोस मशीन मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.13 12:04:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

का किया गया है परन्तु राशन कार्डो मे नही किया गया है। अपीलान्ट जो कि राशन डीलर है उसे विभाग द्वारा मृत उपभोक्ताओं की सूचना एकत्र कर विभाग को प्रस्तुत करने हेतु कैम्पों के दौरान पाबन्द किया गया था। अपीलान्ट (राशन डीलर) स्थानीय स्तर पर निवास करता है जिसे ग्राम के हर व्यक्ति की जानकारी होती है कि कौन उपभोक्ता मर गया एवं किस उपभोक्ता की शादी हो चुकी है। वाट्स अप पर भी विभाग द्वारा अपीलान्ट को इस संबंध मे सूचना दिये जाने हेतु पाबन्द किया गया है। अपीलान्ट जो कि राशन डीलर है वह उपभोक्ताओं को आधार कार्ड से राशन सामग्री का वितरण नही कर सकता है। अपीलान्ट को राशन वितरण करने पर इसका इन्द्राज राशन कार्डो मे करना अनिवार्य है। अपीलान्ट को उपभोक्ताओं को सुलभ स्थान पर राशन वितरण के लिए नया नक्शा प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिये जाने के बावजूद उसके द्वारा नया नक्शा प्रस्तुत नही किया गया है। अपीलान्ट के विरूद्व जांच मे शिकायत सही पाई जाने पर ही उसके विरूद्व कार्यवाही की गई है। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट के विरुद्ध पारित आदेश विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई फोर्स नहीं होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रार्थी की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का भी अवलोकन किया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों एवं बहस से साफ जाहिर है कि अपीलान्ट के विरूद्व जांच मे शिकायत सही पाई जाने पर अदालत मातहत द्वारा उसके विरूद्व कार्यवाही की गई है। जब विभाग द्वारा अपीलान्ट को कैम्पों मे एवं वाट्सअप के जरिये मृत उपभोक्ताओं की सूचना विभाग को देने के लिए पाबन्द किया हुआ है तो उसे विभाग को इस बारे मे सूचना देनी चाहिए थी। जो उपभोक्ता मर गया है उसका राशन उठाना गबन की श्रेणी मे ही आता है यदि अपीलान्ट मृत व्यक्तियों की सूचना विभाग को देता तो मृत व्यक्तियों का नाम राशन कार्ड से हटाया जाकर इस गबन को रोका जा सकता था। अपीलान्ट द्वारा पोस मशीन पर राशन वितरण दर्ज है परन्तु राशन कार्ड मे वितरण का अंकन नही करना गबन की ही अनियमितता है। अपीलान्ट ने 17 क्विंटल 20 किलोग्राम गेहूं व 34 किलोग्राम चना दाल का गबन किया है। अपीलान्ट द्वारा उपभोक्ताओं को सुलभ स्थान पर राशन वितरण के लिए नया नक्शा भी प्रस्तुत करना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट के विरुद्ध पारित आदेश विधि सम्मत है क्योंकि अपीलान्ट द्वारा राशन वितरण का कार्य नियमानुसार नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई फोर्स नहीं होने से खारिज की जाती है। अपील खारीज होने की स्थिति मे प्रार्थना पत्र स्थगन पर अलग से सुना जाना आवश्यक नही है। अतः पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 30.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.13 12:04:08 IST
Reason: SelfAttested